26 मई से केवल आवश्यक प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए शर्तों के साथ खुलेगा जिला न्यायालय

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अवकाशों के उपरान्त दिनांक 26.05.2020 से सीमित न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु जनपद न्यायालय खुलेगा। जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि जनपद रेड जोन मे है इसलिए अभी केवल जमानत व अग्रिम जमानत के लम्बित व नये मामले, रिमाण्ड, गैर जमानती अधिपत्र जारी करना, धारा 82, 83, 173, 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कार्य व निर्णय/आदेशों मे नियत पत्रावलियों का निस्तारण ही किया जायेगा। इस कार्य हेतु मात्र सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट व विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही नामित होंगे जो कि वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए वीडियो कान्फ्रेंस कमरा नं0 29, द्वितीय तल, बहुखण्डीय भवन मे स्थित है तथा अधिकारीगण अपने-अपने चेम्बरों मे लैपटॉप के माध्यम से सुनवाई करेंगे। नये ई-मेल आईडी kanpurnagarcourtfiling@gmail.com पर ही प्रार्थना पत्र/लिखित बहस (यदि कोई हो) भेजे जा सकते हैं, अन्य पर नहीं। प्रार्थना पत्र जो कि शपथपत्र से समर्थित होगा जिस पर वादकारी व अधिवक्ताओं का फोन नम्बर, अधिवक्ताओं का पंजीयन नम्बर सहित विवरण होगा ताकि प्रार्थनापत्रों मे कमी होने की दशा मे उनको सूचित किया जा सके। समर्पित हेल्पलाइन नं0 9807168165 व 9936094291 होंगे जो पी0एल0वी0 के नम्बर हैं। इसके अतिरिक्त लैण्ड लाइन नम्बर 0512-2330929 भी होगा। प्रार्थना पत्रों पर 48 घंटे बाद की तिथि दी जायेगी। समस्त अधिकारियों का समय निश्चित किया जायेगा जिसकी सूचना न्यायालय की वेवसाइट पर दी जायेगी और इसी कम मे केवल अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति होगी। हॉट स्पाट क्षेत्र से अधिवक्ता नहीं आयेंगे। अधिवक्ताओं का प्रवेश केवल शताब्दी द्वार से होगा जिनका नाम उस दिन सूची मे होगा जिनके आवश्यक मामलों की सुनवाई होनी है, अन्य अधिवक्ताओं का प्रवेश निषेध होगा। आवंटित समय के दौरान ही अधिवक्ताओं के प्रवेश की अनुमति होगी। वादकारियों का प्रवेश निषेध होगा। आवश्यक प्रार्थनापत्रों के अलावा दीवानी व फौजदारी वादों मे सामान्य तिथि नियत की जायेगी। बहस करने के उपरान्त अधिवक्ता न्यायालय परिसर छोड़ देंगे। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी का मानक के अनुरूप ध्यान देना होगा। कचेहरी परिसरी प्रतिदिन सेनेटाइज होगा। कचेहरी परिसर मे केवल 10 प्रतिशत कर्मचारी, ओथकमिश्नर, टाइपिस्ट व स्टाम्प वेण्डरों को प्रवेश की अनुमति होगी।

24.5.2020

जनपद न्यायाधीश

कानपुर नगर।